संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी० के० एस० परिसर, रायपुर 492001

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स–2221641 ईमेल–cgayush@gmail.com

क्रमांक/1/स्था/राज/2019/ रायपुर,दिनांक

वाक–इन इन्टरव्यू

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में रिक्त निम्न शैक्षणिक पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत 01 वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति/पदोन्नति जो भी पहले हो तक, संविदा नियुक्ति के लिए संचालनालय आयुष में निम्नानुसार तिथियों में प्रातः 11.00 बजे से " वाक–इन इन्टरव्यू" आयोजित किया गया हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रातः 9.00 बजे अभिलेखों के परीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	पदनाम	विषय	रिक्तियां	मासिक समेकित वेतन
दिनांक 27.03.2019 (बुधवार)				
1.	प्रोफेसर – 07 पद	1. संहिता सिद्धांत	01 अजजा	
		2. रचना शरीर	01 अजजा	
		3. द्रव्यगुण	01 अजजा	80,000/– प्रतिमाह
		4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	01 अजजा	
		5. काय चिकित्सा	01 अजजा	
		6. क्रिया शरीर	01 अनारक्षित	
			01 अजजा	
2.	रीडर – 2 पद	1. रचना शरीर	01 अजजा	52,000/– प्रतिमाह
		2. काय चिकित्सा	01 अनारक्षित	
3.	व्याख्याता– 5 पद	1. संहिता सिद्धांत	01 अनारक्षित	40,000/– प्रतिमाह
		2. द्रव्यगुण	01 अपिव	
		3. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	02 अजजा	
		4. क्रिया शरीर	01 अजजा	
दिनांक 28.03.2019 (गुरूवार)				
1.	प्रोफेसर – 04 पद	1. शल्यतंत्र	01 अनारक्षित	
		2. पंचकर्म	01 अनारक्षित	80,000/– प्रतिमाह
			01 अजजा	
		3. कौमारभृत्य	01 अनारक्षित	
2.	रीडर – 6 पद	1. शल्यतंत्र	01 अजजा	
		2. पंचकर्म	01 अनारक्षित	52,000/– प्रतिमाह
		3. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01 अजजा	

		4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	01 अजजा	
		5. अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	01 अनारक्षित	
		6. स्वस्थवृत्त	01 अनारक्षित	
3.	व्याख्याता— 6 पद	1. शल्यतंत्र	01 अनारक्षित	40000/— प्रतिमाह
			01 अजजा	
		2. कौमारभृत्य	01 अजजा	
			01 अपिव	
		3. शालाक्य तंत्र	01 अजजा	
		4. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01 अजजा	

टीप— 1. सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर ही की जावेगी तथा शैक्षणिक अर्हता आदि का बंधन नहीं होगा। मासिक समेकित वेतन से पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत को घटाया नहीं जावेगा।

1. आयु सीमाः—
   1. प्रोफेसर— न्यूनतम 32 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष
   2. रीडर— न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष
   3. व्याख्याता—न्यूनतम 22 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष

2. शैक्षणिक अर्हता :— (समस्त पदों हेतु)
   1. अनिवार्य(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।.

      (ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि ।

      (ग) विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मण्डल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण।

3. अनुभव प्रोफेसर के लिए :— संबंधित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा संबंधित विषय में सह—आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।

   रीडर के लिए :— संबंधित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव।

....3

टीपः– 1.संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारक अभ्यर्थी के अभाव में निम्नलिखित विषयों के अभ्यर्थी जैसा कि उनके सामने उल्लेखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी प्रावचक अथवा सह–आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होगें :–

आवश्यक विशिष्टता	समवर्गी विषय का नाम
रचना शरीर	शल्य तंत्र
प्रसूति एवं स्त्री रोग	शल्यतंत्र
काय चिकित्सा	मानसरोग
क्रिया शरीर	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत अथवा काय चिकित्सा
शल्य तंत्र	निश्चेतन एवं क्ष–किरण
पंचकर्म	काय चिकित्सा
शालाक्य	शल्य तंत्र
स्वस्थ्यवृत्त	कायचिकित्सा
अगदतंत्र	द्रव्यगुण या रसशास्त्र
रोग विज्ञान	काय चिकित्सा
बालरोग / कौमारभृत्य	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा काय चिकित्सा

2/– संविदा नियुक्ति 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो तक के लिए की जावेगी। विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3/– 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त शिक्षक संविदा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें।

4/– सेवानिवृत्त आवेदकों को विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र में निम्नलिखित वांछित जानकारी एवं समस्त प्रमाण–पत्रों की, स्वप्रमाणित छायाप्रति का एक सेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा पंजीयन/परीक्षण/साक्षात्कार समिति के समक्ष समस्त मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा :–

(1) सेवानिवृत /भारमुक्त होने का आदेश जिसमें पद एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख हो.।

(2) सेवानिवृत के पूर्व नियोक्ता का नाम व पूरा पता व दूरभाष कमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

(3) विभागीय जांच, अभियोजन लंबित होने, सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दण्डित न होने,पेंशन रोकने के दण्ड से दण्डित न होने, आदि के संबंध में अभ्यर्थी को 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(4) यदि सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली गई हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

5/– अन्य अर्हताधारी उम्मीदवारों से जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजो /प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों का एक सेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा पंजीयन /स्कूटनी/साक्षात्कार समिति के समक्ष समस्त मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा :–

(1) जन्म तिथि हेतु दसवीं /बारहवीं कक्षा का प्रमाण –पत्र

(2) स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण –पत्र

(3) अनुभव प्रमाण पत्र (प्रोफेसर एवं रीडर पद हेतु)

(4) स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीयन प्रमाण– पत्र

(5) आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण –पत्र एवं छ.ग. के मूल निवासियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण –पत्र।

6/– उपरोक्त नियुक्तियां मान्.उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका रिट पिटीशन कमांक (सी.) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान्.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी ।

7/ अन्य नियम एवं शर्तें:-

1. अभ्यर्थियों का पंजीयन प्रात: 9 से 11 बजे तक किया जावेगा।
2. मासिक समेकित वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते आदि देय नहीं होंगे।
3. उपरोक्त दर्शाए गए पदों की संख्या परिवर्तनीय है।.
4. नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
5. साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
7. आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होगा।

संचालक
आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र का प्रारूप

पद एवं विषय का नाम ....

1. आवेदक का नाम (हिन्दी) ....

(अंग्रेजी केपीटल लेटर,में) ....

2. पता स्थाई ....

....

पत्राचार का पता ....

....

3. 1. जन्मतिथि (अंको में) ....

2. (शब्दो में) ....

3. आवेदन की अंतिम तिथि को आयु .... वर्ष .... माह ....दिवस

4. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है (टिक करें) हॉं/नहीं

5. संवर्ग (टिक करें) · अनारक्षित/अनु.जनजाति/अनु.जाति /अन्य पि. वर्ग

6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का नाम ....विषय ....

एवं दिनांक ....

7. बोर्ड में पंजीयन कमांक 1. स्नातक उपाधि .... बोर्ड का नाम ....

2. स्नातकोत्तर उपाधि .... बोर्ड का नाम ....

8. आवेदित विषय में अध्यापन का अनुभव ....वर्ष .... माह ....

....वर्ष .... माह ....

9. सेवा अवधि के संबंध में निम्नांकित जानकारियां के समक्ष हॉं/नहीं में अंकित करें :–

1. क्या आपके विरूद्ध विभागीय जांच/अभियोजन लंबित रहे –हॉं/नहीं

2. सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में किसी प्रकार का दण्ड अधिरोपित किया गया –हॉं/नहीं

3. क्या आपके विरूद्ध पेन्शन रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया –हॉं/नहीं

4. क्या आप अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए है –हॉं/नहीं

5. वांछित शपथ पत्र संलग्न किया गया हैं –हॉं/नहीं

10. अन्य विवरण यदि कोई हो ....

....

11. अन्य योग्य उम्मीदवार जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है के दस्तावेज संलग्न के संबंध में निम्नांकित जानकारियों के सामने हां/नहीं अंकित करें :—

(1) जन्म तिथि हेतु दसवीं /बारहवीं कक्षा का प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(2) स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(3) स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(4) अनुभव प्रमाण पत्र (प्रोफेसर एवं रीडर पद हेतु)	हां/ नहीं
(5) स्नातक उपाधि का पंजीयन प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(6) स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीयन प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(7) आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(8) छ.ग. के मूल निवासियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र	हां/ नहीं
(9) अन्य	

12. संलग्न समस्त प्रमाण—पत्र स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है ।

13. संलग्न प्रमाण—पत्रों की संख्या ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सहीं है, इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम ....)

पत्राचार का पता ....

....

....

....

ई—मेल ....

दूरभाष क. ....

मोबाईल क. ....